न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 72/अपील/2024 (GCMS No. 2024/239)	10.12.2024	15.09.2025

गोपाललाल पांचाल आ. ब्रदीलाल, जाति पांचाल,
निवासी इन्द्रा कोलोनी, नैनवां रोड बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी

– अपीलांट

बनाम

रामबाबू पांचाल आ. गोपाललाल पांचाल, जाति पांचाल,
निवासी एच.पी.आर. ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के पास, धानमण्डी के पीछे,
बाईपास रोड बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 03.09.2024 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बून्दी बउनवान गोपाललाल बनाम रामबाबू पांचाल

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री प्रदीप शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित।

:: निर्णय ::

यह अपील अपीलांट द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 4/2022 बउनवान गोपाललाल पांचाल बनाम रामबाबू पांचाल में पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 से अप्रसन्न होकर माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत इस न्यायालय में पेश की गयी है।

अपीलें प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 72/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2024/239 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट के पुत्र रेस्पोडेन्ट एवं उसकी पत्नी गायत्री देवी के जरिये झूठी मनगढंत तथ्यों पर आधारित प्रकरण दर्ज करवाकर दबाव बनाकर अपीलांट के मकान एवं दुकान पर कब्जा कर अपीलांट को बेदखल कर दिया, उक्त मकान में स्थित दुकानों से अपीलांट का खर्च चलता था। अपीलांट के पुत्र रामबाबू एवं बहू गायत्री ने साजिश कर किरायेदारों के विरूद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराकर जबरन दुकान किराया 8000/– रूपये लेने लगा, नहीं देने पर उनसे दुकान खाली करवा दी। जिससे अपीलांट वरिष्ठ जन को किराया राशि प्राप्त नहीं हो रही और आर्थिक रूप से परेशानी उठानी पड़ रही है। वरिष्ठ नागरिक असहाय होने से अपीलांट पुत्र रामबाबू और उसकी पत्नी गायत्री के व्यवहार से शारीरिक व मानसिक परेशानी का सामना करना रहा है एवं आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं होने से अपने सामाजिक दायित्व व जिम्मेदारी को वहन करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा घर से बेघर किये जाने से जीवनयापन और रोजाना की जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक परेशानी हो रही है। अपीलांट को वृद्धावस्था होने से भरण–पोषण, दवाईयों, इलाज व सामाजिक जिम्मेदारियों के वहन हेतु खर्च 5000/– रूपये प्रतिमाह की आवश्यकता है जो अपने पुत्र रामबाबू रेस्पोडेन्ट से प्राप्त करने का अधिकारी है तथा मेरे घर एवं उसकी दुकान पर जबरन कब्जा कर दुकान से होने वाली किराये की आय को भी अपीलांट प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलांट के ट्रांसपोर्ट कम्पनी के पास स्थित मकान को रेस्पोडेन्ट ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया हे। अपीलांट ने उक्त मकान स्वयं जमीन खरीद कर बनाया था, जिस पर अपनी पत्नी सोहनी बाई के नाम से विद्युत कनेक्शन ले रखा है। उक्त मकान मे अपीलांट ने दुकानें भी बना रखी थी, उन दुकानों को किराये पर देकर अपना गुजर बसर कर रहा था लेकिन रेस्पोडेन्ट ने मकान से निकाल दिया। रेस्पो. एवं उसकी पत्नी गायत्री ने मनगढंत षडयंत्र रचकर अपीलांट का मकान हड़प लिया है। उक्त मकान पर अपीलांट को वापस कब्जा दिलवाया जाना भी आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट दुकानों के किरायेदारों से दादागिरी कर दुकानों का किराया 8000/– रूपये भी रेस्पो. ही ले रहा है। वर्तमान में अपीलांट के पास अपने गुजर बसर, ईलाज, दवाईयां इत्यादि के खर्चों के लिये लगभग 5000/– रूपये प्रतिमाह की आवश्यकता है एवं अपीलांट के पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है। इस कारण अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम में भरण पोषण राशि 5000/– रूपये प्रतिमाह एवं प्रार्थी की दुकानों का किराया 8000/– रूपये कुल 13000/– एवं अप्रार्थी को प्रार्थी के उक्त मकान से बेदखल करने हेतु न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बून्दी के यहां प्रस्तुत किया था, जिसका निर्णय दिनांक 03.09.2024 को पारित किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट वरिष्ठ नागरिक है एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन से वर्ष 2008 में लगभग 16 वर्ष पूर्व रिटायर्ड हो गया है। अपीलांट को सरकारी पेंशन, जी.पी.एफ. या अन्य कोई पेंशन नहीं मिलती है, सी.पी.एफ. कार्यालय कोटा से मात्र 1000/– रूपये अंशदानी पेंशन मिलती है। अपीलांट ने अपने समर्थन में प्रमाण एवं आवश्यक दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये थे जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र के साथ अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति का विवरण दिया था एवं अपीलांट के साथ रेस्पो. एवं उसकी पत्नी द्वारा झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करवाकर दबाव में अपीलांट के उक्त मकान का अपने नाम स्टाम्प लिखवा लिया था तथा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में मनगढंत, झूठे तथ्यों पर आधारित वर्णित किया, जिसका साक्ष्य के रूप में दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं करवाया, रेस्पो0 ने अपने जवाब में लिखे गये चरणों अनुसार मौखिक या लिखित रूप से प्रमाणित कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं कराया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 को न तो घर से बेदखल किया, न ही अपीलांट के हित में भरण पोषण राशि एवं दुकान किराया राशि बाबत आदेश दिया। रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना अभी तक भी नहीं की। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.09.2024 को अपास्त कर रेस्पो. को बेदखल कर उससे दुकान किराया 8000/– एवं भरण पोषण के लिये 5000/– रूपये एवं अन्य न्यायोचित सहायता अपीलांट को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

अभिभाषक रेस्पो. ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खाते में 3500/– प्रतिमाह के हिसाब से राशि जमा करवाये जाने का दिनांक 03.09.2024 को जो आदेश पारित किया है वह सही है, क्योंकि रेस्पोडेंट एक बेरोजगार व्यक्ति है तथा रेस्पोडेंट की पत्नी हदय रोग की गंभीर बीमार से ग्रस्त होने से उसके ईलाज का मासिक खर्च उठा पाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट के पास अपने परिवार का गुजारा करने के लिए ही पर्याप्त आय का साधन नहीं होने से वह अपीलांट को इससे अधिक राशि का भुगतान करने में असमर्थ है। वैसे भी उक्त राशि अपीलांट के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है क्योकि अपीलांट रोडवेज से रिटायर्ड कर्मचारी है जिनको सेवानिवृत्ति के बाद करीब 10 लाख रूपये ईपीएफ, ग्रेच्यूटी एवं अन्य परिलाभ मिले है, जिनके ब्याज से तथा पेंशनर्स की मासिक पेंशन, 6 बीघा कृषि भूमि से आय आदि से राशि प्राप्त होती है जो अपीलांट को जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त राशि है। रेस्पोडेंट के अलावा अपीलांट के दो पुत्र और है जिनमें रमेश जो कि रोडवेज में चालक के पद पर सेवारत है एवं दूसरा पुत्र श्याम बाबू जो विद्युत रिपेयरिंग की दुकान एवं आटाचक्की की दुकान चलाता है, किन्तु दोनों पुत्रों से

जिला कलेक्टर, बूंदी

मिलीभगत करके षडयंत्रपूर्वक केवलमात्र अपीलांट के विरूद्ध ही अधीनस्थ न्यायालय में भरण पोषण का प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकि शेष दोनों पुत्र भी अपने पिता अपीलांट के भरण पोषण के लिए बराबर उत्तराधिकारी होने से उनको पक्षकार नहीं बनाये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र नोन जोइन्डर ऑफ पार्टीज का दोष होने से प्रथमदृष्टया खारिज होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीनों पुत्रों पर भरण पोषण की जिम्मेदारी दिये जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था। अपीलांट जिस मकान–दुकान से रेस्पोडेंट को बेदखल करने या मकान किराया भुगतान की बात कर रहे है वह मकान–दुकान पक्षकारान के पारिवारिक बटंवारा पत्र दिनांक 27.11.2019 के तहत पिता अपीलांट की इच्छा से ही पुत्र रेस्पोडेंट को संभलाया गया है। इसलिए रेस्पोडेंट कोई अतिक्रमी या किरायेदार नहीं है जिसको बेदखल किया जावे या किराया वसूल किया जावे। इस मकान के अलावा अपीलांट के पास नैनवा रोड चौराहा बून्दी में हनुमान मंदिर के सामने की गली में दो मकान है जिनमें अपीलांट अपने दोनों पुत्रों के साथ निवास करते है। रेस्पोडेंट द्वारा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि अपीलांट द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी बून्दी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बाद सुनवाई उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.2024 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उनके भरण पोषण हेतु रेस्पोडेंट को 3500/–रू. प्रतिमाह भुगतान प्रार्थी गोपाललाल पांचाल के खाते में जमा करवाने के आदेश प्रदान किये गये है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उनकी आयु 72 वर्ष होना अंकित किया है। ऐसे में वयोवृद्ध पिता अपीलांट के वृद्धावस्था पेंशन से या कृषि भूमि की आय से आजीविका चलाये जाने संबंधी रेस्पोडेंट द्वारा दिये गये तर्क उचित नहीं है बल्कि यह पुत्र रेस्पोडेंट के अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी से बचने का प्रयास है। अपीलांट द्वारा अपने पैतृक मकान में निवास करने का तथ्य अपने जवाब में स्वीकार किया गया है, ऐसे में रेस्पोडेंट पर अपने वयोवृद्ध पिता अपीलांट के भरण पोषण का सामाजिक एवं कानूनी दायित्व है।

अपीलांट द्वारा मकान–दुकान का किराया 8000/–रूपये एवं भरण पोषण हेतु 5000/– रूपये प्रतिमाह दिलाये जाने बाबत अपील में आपत्ति की गई है। रेस्पोडेंट द्वारा दौराने बहस अपीलांट के रेस्पोडेंट सहित 3 वयस्क पुत्र होना तथा नैनवा रोड बून्दी में हनुमान मंदिर चौराहे के पास गली में स्वयं का

जिला कलेक्टर, बून्दी

अलग से मकान होना बताया है जिसके अपीलांट की इन्कारी नहीं है। ऐसे में रेस्पोडेंट से भरण पोषण की राशि 3500/– रू. प्रतिमाह के भुगतान के साथ साथ पृथक से मकान किराया 8000/– रू. दिलाये जाने की अपीलांट की आपत्ति नियमानुकूल प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश में नियत राशि 3500/– रू. प्रतिमाह अपीलांट को जीवन निर्वाह के लिए उचित प्रतीत होती है।

जहां तक अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश को इस अपील में चुनौती दिये जाने का प्रश्न है तो अपीलांट के भरण पोषण हेतु उसके पुत्र रेस्पोडेंट को 3500/–रू. प्रतिमाह अपीलांट के खाते में जमा करवाये जाने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान किया गया। बाद सुनवाई उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी गयी है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी